

तकनीकी बोली जमा करने हेतु प्रारूप

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण),  
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइन प्रभाग)  
न्यू मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना  
प्लॉट नंबर- 3, दूसरी मंजिल, श्याम हाउस,  
आम्रपाली सर्कल, वैशाली नगर, जयपुर-302021 (राजस्थान)

(एस. वी. नं. - .....)

क) भू-स्वामी/स्वामियों का नाम :.....

ख) पिता/ पति या पत्नी का नाम :

ग) स्थायी पता :.....

घ) पत्र-व्यवहार हेतु पता :

ड) उम्र :

च) लिंग : पुरुष/ स्त्री

छ) आधार संख्या :

ज) प्लॉट संख्या अथवा खसरा संख्या :

झ) भू-खंडों को घेरे हुए अन्य भू-खंड : पूर्व -  
पश्चिम -  
उत्तर -  
दक्षिण -

ञ) भू-खंड की माप अथवा क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) :

ट) फ्रीहोल्ड / लीजहोल्ड :

ठ) लीजहोल्ड की अवस्था में, लीज के वर्ष :

ड) क्या लीज नवीनीकरण योग्य है? : हाँ/ ना

ढ) यदि लीज नवीनीकरण योग्य है, तो कितने वर्ष हेतु नवीनीकृत की जा सकती है? :

ण) क्या लीज रद्द की जा सकती है? : हाँ/ ना

त) स्वत्व विलेख (टाइटल डीड) / लीज डीड संख्या एवं दिनांक :

थ) नाम परिवर्तन (म्यूटेशन) संख्या एवं दिनांक :

द) वर्तमान किराया/ कर भुगतान की पावती संख्या एवं दिनांक :

में एतद्द्वारा यह घोषित करता हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई समक्ष जानकारी सत्य है ।

(हस्ताक्षर अथवा बाएँ-हाथ के अंगूठे के का निशान - राजपत्रित  
अधिकारी/ पंजीकृत चिकित्सक द्वारा साक्ष्यांकित)

**संलग्नक सूची:**

1. भूमि विक्रय सहमति पत्र / भूमि विक्रय का समझौता पत्र - अनिवार्य
2. परिवार /वंशावली (यदि भूमि की हकदारी पैतृक है) - वैकल्पिक
3. म्यूटेशन की साक्ष्यांकित (अटैस्टेड) प्रतिलिपि - वैकल्पिक
4. नवीनतम खसरा नं./खतौनी/चकबंदी का विवरण - वैकल्पिक
5. भूमि मालिकों का विवरण/ हकदारिता का विवरण - वैकल्पिक
6. वर्तमान किराया/ कर भुगतान की पावती - वैकल्पिक
7. टाइटल डीड/ लीज डीड विक्रय की साक्ष्यांकित (अटैस्टेड) प्रति - वैकल्पिक
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विक्रय विलेख का सहमति पत्र, अगर लागू हो - वैकल्पिक
9. भूमि का विधिक परामर्शक अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किया हुआ गैर भार प्रमाणपत्र - वैकल्पिक
10. भूमि का 7/12 उद्धरण अगर राज्य में लागू हो - वैकल्पिक
11. अन्य कोई दस्तावेज़ जो भूमि विक्रय में लागू हो -

उपर्युक्त दस्तावेज़ जो की वैकल्पिक अंकित किए गए हैं वे मूल्यांकन के चरण पर प्रस्तुत करने होंगे। वे दस्तावेज़ जब भी कॉर्पोरेशन द्वारा मांगे जाने पर भू-विक्रेता को प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे दस्तावेज़ों को जमा ना करने पर भू-विक्रेता द्वारा जमा की गई बोली को अनुत्तरदायी करार दिया जाएगा।

**नोट: यह बोली भू-विक्रेता द्वारा प्रथक बंद लिफ़ाफ़े ( जिसका शीर्षक 'तकनीकी बोली' हो ) में जमा की जाए ।**